संदर्भ सं.: APEDA/CRL-2023-24-00006

18.08.2023

प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 3-5 नवंबर, 2023 को आयोजित "वर्ल्ड फूड इंडिया 2023" के दौरान प्रदर्शनी के डिजाइन और निर्माण-कार्य के लिए बोलियां आमंत्रित करने हेतु निविदा

1. आवश्यकताएं:

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण "एपीडा" द्वारा "वर्ल्ड फूड इंडिया 2023" में भाग लिया जा रहा है, जो प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 3-5 नवंबर , 2023 तक आयोजित किया जाएगा (इसके बाद "प्रस्ताव" के रूप में संदर्भित किया जाता है)। एपीडा द्वारा खाद्य उत्पादों के प्रस्ताव और प्रचार और आरबीएसएम के आयोजन को प्रदर्शित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी प्रदर्शनियां स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

हॉल नंबर 3 में आयोजन के लिए एपीडा पवेलियन का कुल क्षेत्र 3000 वर्गमीटर (अनुमानित) और निवल क्षेत्र (अनुमानित) 1700 वर्गमीटर है (पवेलियन का लेआउट प्लान संलग्न है)।

2. बोलियों की प्रस्तुति हेतु पात्रता

निम्नलिखित न्यूनतम योग्यता रखने वाली एजेंसियों को आद्योपांत (टर्नकी) आधार पर इस इवेंट के लिए बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है:-

2.1 एजेंसियों को पंजीकृत व्यावसायिक इकाई / सेवा प्रदाता होना चाहिए। पंजीकरण क्रमांक, टैन / प्रत्यक्ष कर / आयकर / व्यापार कर / वैट / जी.एस.टी आदि के रूप में लागू तकनीकी बोली प्रारूप में उद्धृत किया जा सकता है और प्रमाण पत्र/प्रमाण की प्रति संलग्न की जाए। ये दस्तावेज़ केवल आवेदक संगठन के नाम पर होने चाहिए न कि समूह/सिस्टर संगठनों के नाम पर। दूसरे शब्दों में , प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों में आवेदक संगठन का नाम समान होना चाहिए।

2.2 कंपनी को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में पवेलियन की स्थापना के लिए टर्नकी आधार पर परियोजनाओं की संकल्पना , डिजाइन और कार्यान्वयन में पिछले तीन वित्तीय वर्षों से अस्तित्व में होना चाहिए।।

2.3 राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले पवेलियन से संबंधित इवेंट मैनेजमेंट व्यवसाय के कार्यान्वयन के लिए पिछले 3 वित्तीय वर्ष अर्थात वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान न्यूनतम 5 ,00,00,000/- रुपये (पांच करोड़ रुपये मात्र) का औसत टर्नओवर। उपर्युक्त अवधि के लिए आवेदक संगठन के टर्नओवर को प्रमाणित करने वाला एक सीए प्रमाणपत्र। टर्नओवर केवल आवेदक संगठन के नाम पर होगा , समूह/सहयोगी संगठनों के नाम पर नहीं।

2.4 नई दिल्ली में देय "एपीडा" के पक्ष में 2 ,00,000/- रुपये (दो लाख रुपये मात्र) की राशि के लिए डीडी के रूप में ईएमडी बोली के लिए आवश्यक है , जिसके बिना बोली प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

2.5 एक स्व-प्रमाणित वचनबंध प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि उन्हें कभी भी किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट में नहीं डाला गया है और यह आज की तारीख तक लागू नहीं है।

3. कार्य-क्षेत्र

एपीडा ने इस आयोजन के लिए निम्नलिखित गतिविधियों को करने के लिए एक एजेंसी को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा है:-

I. सामान्य क्षेत्र में (प्रदर्शक स्टॉल के अतिरिक्त) थीम क्षेत्र शामिल होगा:

- पवेलियन के डिजाइन में लगभग 100 वर्ग मीटर की लकड़ी की संरचना में एक थीम क्षेत्र शामिल होगा जिसमें नमूनों के प्रदर्शन के लिए पर्याप्त जगह होगी। एपीडा पवेलियन का विषय 'भारत का गुणवत्तापूर्ण उत्पादन' है।
- आयोजकों के दिशानिर्देशों के अनुसार , अधिकतम ऊंचाई से एपीडा पवेलियन की ब्रांडिंग और दृश्यता।
- सोफा सिटिंग और गोल मेज और 12 कुर्सियों के साथ 6 खुले बैठक कक्ष।
- लकड़ी के फर्श पर बनी एलईडी लाइट के साथ 100 मिमी ऊंचा पवेलियन।
- पेंट फिनिश में एमडीएफ (न्यूनतम आकार 50 मिमी) के साथ डबल साइड लकड़ी से बनी विभाजन दीवारें।
- दोनों तरफ फ्रंट ट्रांस लाइट के साथ कस्टम निर्मित रिसेप्शन टेबल।

• प्रस्तावित पवेलियन पूरी लकड़ी की संरचना में ऑक्टोनॉर्म डिजाइन वाला होगा।

• जेनेरिक ब्रांडिंग स्ट्रेचेबल लाइक्रा या फ्लेक्स पर होगी ताकि अंतिम गेट अप में कोई रिंकल्स न हों। सामान्य ब्रांडिंग बैनरों में चमकदार सफेद रोशनी होगी।

• पवेलियन /स्टॉलों के निर्माण की अन्य शर्तों , स्टॉल की ऊंचाई आदि के लिए आप **www.wf2.com** का संदर्भ ले सकते हैं। संपूर्ण 2 पीसीएस पवेलियन के माध्यम से चलने वाली प्रावरणी और ब्रांडिंग मूल संरचना से ऊपर होगी।

• 2 पीसीएस के उपयोग के लिए सभी सामान्य क्षेत्रों को ऊंचे लकड़ी के फर्श से अलग किया जाएगा।

• पवेलियन को पर्याप्त सफेद रोशनी से जगमगाया जाएगा ताकि पूरे पवेलियन में अंधेरा न हो।

• पवेलियन में वीआईपी लाउंज, कार्यालय, स्टोर, पेंट्री और खुली बैठक क्षेत्र होंगे। वीआईपी लाउंज में कम से कम 15 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले सोफा सेट, सेंटर टेबल, स्टोर, पेंट्री और खुली बैठक क्षेत्र होंगे।

• पवेलियन में 500 खरीदारों के लिए बीएसएम के लिए आंतरिक स्तर का डिज़ाइन किया गया क्षेत्र भी होगा।

II बीएसएम क्षेत्र

- लगभग 150 खरीदारों के लिए बी2बी मीटिंग में बैठने की व्यवस्था करना।
- खरीदारों के लिए पानी/चाय/कॉफी/पेय पदार्थ/बिस्कुट/स्नैक्स/कुकीज़ की व्यवस्था करना।

III प्रदर्शक स्टालः

चयनित बोलीदाता को निम्नलिखित गतिविधियों को करने की आवश्यकता होगी:

i) पवेलियन में प्रदर्शकों के लिए 9 वर्ग मीटर के निर्मित ऑक्टार्न/मैक्सिमा बूथ होंगे, अधिमानतः 2 तरफ खुले या आईटीपीओ के दिशानिर्देशों के अनुसार।

प्रदर्शकों की आवश्यकता के आधार पर 9 वर्ग मीटर के मल्टीपल में बड़े बूथ हो सकते हैं, जिन्हें तदनुसार सूचित किया जाएगा।

ii) 9 वर्गमीटर के प्रत्येक निर्मित बूथ में निम्नलिखित मानक फर्नीचर होंगे:

> एक गोल मेज़

> 4 कुर्सियाँ

> प्रत्येक 100 वाट या समकक्ष की 5 स्पॉट लाइटें

> 3 अलमारियों के 2 सेट

> एक पावर प्वाइंट

> कालीन और बैकलिट प्रावरणी

> एक अपशिष्ट कागज की टोकरी

> एक लॉक करने योग्य काउंटर

- इसके अतिरिक्त, एजेंसी उचित अतिरिक्त लागत पर प्रदर्शकों की आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त फर्नीचर आइटम प्रदान करने में सक्षम होगी , जिसका भुगतान संबंधित प्रदर्शक द्वारा किया जाएगा। अतिरिक्त फर्नीचर की लागत वित्तीय बोली दस्तावेज़ के साथ सूचित की जाएगी।

IV अन्य गतिविधियां:

- डीवीडी प्लेयर/पेन ड्राइव के साथ कम से कम एक एलईडी वॉल साइज़ का प्रावधान होगा।
- व्यवसाय कार्यालय प्रिंटर , इंटरनेट (वाईफाई) और फोटोकॉपियर के साथ कंप्यूटर/लैपटॉप से सुसज्जित होगा।

- पैंट्री में परिचारकों के साथ कॉफी/चाय/सूप वेंडिंग मशीन , स्नैक्स (काजू, बादाम, कुकीज़ आदि) और पानी निकालने की मशीन होगी।

- दिन की शिफ्टमें चार परिचारिकाएं और सभी शिफ्ट में छह सुरक्षा गार्ड एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराने होंगे।

- निम्नलिखित का विकास, तैयारी और मुद्रण।

    - प्रदर्शक निर्देशिका (500 प्रतियां - आकार 7"x9.5")।

o एपीडा का कॉर्पोरेट ब्रोशर (1000 प्रतियां - आकार 7"x9.5")

इसके अतिरिक्त, चयनित एजेंसी को संपादन , प्रूफ रीडिंग और मूल्यवर्धन के साथ एपीडा द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी के आधार पर सामग्री विकसित करनी होगी।

- संपूर्ण इवेंट के लिए हाई रेजोल्यूशन स्टिल फोटोग्राफी और दो फोटो एलबम जमा करने होंगे जिसमें कम से कम 5 x7 आकार की 200 तस्वीरें और वीडियो कवरेज (दो दिन) के साथ-साथ यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए 3 मिनट का वीडियो और गतिविधि के लिए एपीडा की वेबसाइट पर लिंक प्रदान करने के लिए एक पेशेवर फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर की सेवाएं ली जाएं।

- एजेंसी वीआईपी दौरे के लिए या एपीडा के निर्देशानुसार प्रति दिन कम से कम 5 गुलदस्ते की व्यवस्था करेगी।

- पांच दिनों तक प्रतिदिन लगभग 25 लोगों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले शाकाहारी/मांसाहारी दोपहर के भोजन की व्यवस्था।

- वीआईपी आगंतुकों के लिए एपीडा स्मारिका (लगभग 50 और रेंज रु. प्रत्येक लगभग 1500/-) एपीडा द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

- एजेंसी एपीडा द्वारा अनुमोदित रंग के अनुसार पवेलियन के अंदर नया कालीन प्रदान करेगी।

- एजेंसी द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे वॉल पैनल, लकड़ी की सामग्री , फर्नीचर, डिस्प्ले सहायक सामग्री आदि अच्छी गुणवत्ता की होगी। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है , प्रदान किए जाने वाले फर्नीचर की तस्वीरें प्रस्तुति के समय दिखाई और प्रस्तुत की जाएंगी।

- समरूपता बनाए रखने के लिए एजेंसी द्वारा तैयार किए गए पोस्टर/पैनल आयामों में समान होंगे।

- एजेंसी प्रदर्शनी की पूरी अवधि के दौरान पवेलियन के रखरखाव, सफाई और अग्नि

सुरक्षा के साथ-साथ भूनिर्माण का कार्य भी करेगी।

- एजेंसी को टर्नकी आधार पर डिजाइनिंग और निर्माण-कार्य , पवेलियन के रखरखाव और प्रबंधन से लेकर निराकरण तक का कार्य दिया जाएगा। यदि आवश्यक हो , तो एजेंसी को व्यक्तिगत स्टॉल की स्थापना और उनकी अतिरिक्त आवश्यकताओं के संबंध में एपीडा प्रदर्शकों के साथ समन्वय करने की भी आवश्यकता होगी।

- प्रस्तावित डिज़ाइन आईटीपीओ के मानदंडों के अनुसार होगा।

- सभी व्यक्तिगत बूथ ऑक्टोनॉर्म में होंगे और भारतीय खाद्य ब्रांडिंग बूथ के ऊपर दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।

- अवधारणा में लेआउट योजना और उसका 3डी दृश्य शामिल होगा।

- एजेंसी द्वारा सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर एपीडा द्वारा आवश्यक बिजली शुल्क का वास्तविक भुगतान किया जाएगा। हालाँकि, प्रदर्शकों को निर्धारित सीमा से अधिक बिजली का भार प्रदर्शकों द्वारा भुगतान के आधार पर दिया जाएगा।

4. सामान्य

4.1 चयनित बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि पवेलियन के निर्माण और रखरखाव और अंत तक आयोजन के समन्वय के लिए साइट पर उपयुक्त श्रमशक्ति मौजूद है। चयनित बोलीदाता आयोजन के अंत तक आयोजकों के सभी लागू बिलों का निपटान करेगा।

4.2 बिजली की आपूर्ति और मुख्य विद्युत कनेक्शन, जलापूर्ति और अन्य समर्थन प्रणाली आदि कार्यक्रम आयोजकों की अनुशंसाओं के अनुसार उपलब्ध होंगे। तदनुसार, उपरोक्त प्रावधानों की चयनित बोलीदाता द्वारा जाँच किए जाने की आवश्यकता होगी।

5. नियम एवं शर्तें

5.1 एपीडा के दिशा-निर्देशों एवं मार्गदर्शन में अनुमोदित बोलीदाता कार्य करेगा। यह सुनिश्चित करना एजेंसी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि एपीडा के लिए उनके द्वारा की

गई सभी गतिविधियां कानूनी ढांचे के अनुसार हों।

5.2 बोली मूल्य सभी लागू करों सहित केवल भारतीय रुपए में कोट की जाएंगी।

5.3 इच्छुक पात्र एजेंसियां नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 2,00,000/- रु. (दो लाख रुपये मात्र) की बयाना जमा राशि (ईएमडी) सहित सहायक दस्तावेजों के साथ अनुलग्नक- I और II के अनुसार अपनी बोलियां जमा कर सकती हैं। असफल बोलीदाता को विक्रेता के चयन के बाद ईएमडी वापस कर दी जाएगी। चयनित बोलीदाता के लिए, ईएमडी राशि अंतिम भुगतान में समायोजित की जाएगी।

5.4 एजेंसी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह उनके द्वारा किराए पर लिए गए/श्रमशक्ति के संबंध में स्थानीय कानूनों की प्रयोज्यता सुनिश्चित करे।

5.5 एजेंसी को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा बोली दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित है। बोली की वैधता बोली जमा करने के अंतिम दिन से 90 दिनों के लिए होगी।

5.6 एपीडा की आवश्यकता है कि इस अनुबंध के तहत बोलीदाता समझौते की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करें और किसी भी सतर्कता जांच से मुक्त रहे। बोलीदाताओं को एपीडा को निविदा दस्तावेज तैयार करने और जमा करने से जुड़ी लागत को वहन करना होगा।

5.7 एपीडा कार्य प्रदान करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा यदि यह निर्धारित किया जाता है कि प्रस्ताव के लिए अनुशंसित एजेंसी अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा में भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं में लिप्त है।

5.8 एपीडा किसी आवेदक/बोलीदाता को या तो अनिश्चित अवधि या निश्चित अवधि के लिए अनुबंध/अनुबंधों को सौंपने के लिए अयोग्य घोषित करेगा, यदि यह किसी भी समय निर्धारित करता है कि आवेदक/बोलीदाता अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करने या निष्पादित करने में भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं में लिप्त है।

5.9 एजेंसी एपीडा को किसी भी दावे, हानि, मुकदमे, देयता के लिए हानिरहित क्षतिपूर्ति करेगी।

5.10 एक स्व-प्रमाणित उपक्रम प्रस्तुत करना होगा जिसमें उल्लेख किया गया हो कि उन्हें

किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है और यह आज की तारीख में लागू भी नहीं है।

5.11 एजेंसी को अंतिम भुगतान के निपटान से पहले वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में एपीडा की भागीदारी की रिपोर्ट के साथ ब्रोशर , किताबें, पैनल सहित इवेंट के लिए तैयार की गई रिपोर्ट और पवेलियन के अंतिम डिजाइन, प्रचार सामग्री की सॉफ्ट कॉपी जमा करनी होगी। इसे एपीडा की संपत्ति माना जाएगा।

5.12 एपीडा के पास निम्न अधिकार सुरक्षित हैं:

- पवेलियन एवं ग्राफिक्स के डिजाइन का कॉपी राइट।
- डिजाइन योजना में बदलाव करना।
- एजेंसी को आदेश देते समय साइट पर निष्पादित किए जाने वाले वास्तविक क्षेत्र के बारे में सूचित किया जाएगा और साइट पर किए गए वास्तविक माप के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
- अपने विवेक से आवेदन/बोली दस्तावेज़ जमा करने की समय सीमा बढ़ाना।
- बिना कोई कारण बताए और एपीडा पर किसी भी दायित्व के बिना, अनुबंध/आदेश देने से पहले किसी भी समय किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना।
- परियोजना को स्थगित करना, चयनित पार्टी के साथ अनुबंध को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी भी समय रद्द करना यदि एपीडा की राय में यह जनहित में आवश्यक या समीचीन है। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। एपीडा उपरोक्त कार्रवाई से हुई या उत्पन्न किसी भी क्षति या हानि के लिए भी जिम्मेदार नहीं होगा।
- अनुबंध के नियमों और शर्तों को संशोधित करना जो सफल बोलीदाता को बोली प्रक्रिया के बाद प्रदान किया जाएगा, यदि एपीडा की राय में, सार्वजनिक हित में या परियोजना के उचित कार्यान्वयन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- इस दस्तावेज़ के किसी भी खंड की व्याख्या के लिए, अध्यक्ष एपीडा का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों अर्थात बोलीदाता और एपीडा के लिए बाध्यकारी होगा।

6. तकनीकी और वित्तीय बोलियां जमा करने के लिए दिशानिर्देश

7. अलग-अलग लिफाफों में मुहरबंद तकनीकी और वित्तीय बोलियों को इवेंट के नाम अर्थात, **दिनांक 4 सितंबर 2023 शाम 5.30 बजे तक** लिफाफे में नई दिल्ली में दिनांक 3-5 नवंबर, 2023 तक आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया

जाना अपेक्षित है। एजेंसी कृपया ध्यान दें कि सशर्त बोलियों की अनुमति नहीं है और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। **बोली पूर्व बैठक दिनांक 29 अगस्त 2023 को 1600 बजे एपीडा, नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी।**

7.1 कवर 1: तकनीकी बोली: निम्नलिखित दस्तावेजों को शामिल करने के लिए इवेंट का नाम और "तकनीकी बोली" लिखें:

(अनुलग्नक 'I')

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अनिवार्य विवरण:	
एजेंसी का नाम व पता	
मुख्य कार्यकारी का नाम व पदनाम	
पेरोल पर कर्मचारियों की संख्या सहित एजेंसी का प्रोफाइल	
राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले पवेलियन से संबंधित इवेंट मैनेजमेंट व्यवसाय के कार्यान्वयन के लिए पिछले 3 वित्तीय वर्ष अर्थात वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान न्यूनतम 5 ,00,00,000/- रुपये (पांच करोड़ रुपये मात्र) का टर्नओवर। उपर्युक्त अवधि के लिए आवेदक संगठन के टर्नओवर को प्रमाणित करने वाला एक सीए प्रमाणपत्र। टर्नओवर केवल आवेदक संगठन के नाम पर होगा, समूह/सहयोगी संगठनों के नाम पर नहीं।	
पिछले 3 वर्षों के नवीनतम आयकर रिटर्न की स्व प्रमाणित प्रति और जीएसटी संख्या के साथ पैन कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति। ये दस्तावेज केवल आवेदक संगठन के नाम पर होने चाहिए न कि समूह/सहयोगी संगठनों के नाम पर। दूसरे शब्दों में, प्रस्तुत सभी दस्तावेजों में आवेदक संगठन का नाम समान होना चाहिए।	

एपीडा, नई दिल्ली के पक्ष में 2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) की राशि के लिए डीडी के रूप में ब्याज निशुल्क बयाना जमा " ईएमडी" की प्रस्तुति बोली हेतु अनिवार्य है जिसके बिना बोली आदेश अस्वीकार कर दिया जाएगा।	
एक स्व-प्रमाणित उपक्रम प्रस्तुत करना होगा जिसमें उल्लेख किया गया हो कि उन्हें किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है और उक्त आज की तारीख में लागू नहीं है।	

7.2 पवेलियन के कॉन्सेप्ट/डिजाइन के साथ लेआउट, सजावट योजना आदि जैसा कि ऊपर बताया गया है, हार्ड कॉपी के साथ-साथ सीडी/पेनड्राइव पर भी प्रस्तुत किया जाए। एजेंसी को एपीडा पवेलियन (हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों) की 3डी ईमेजस/प्रेज़ेंटेशन प्रदान करनी होगी जो स्पष्ट रूप से विभिन्न एंगल्स से एपीडा पवेलियन के पूर्ण प्रक्षेपण को दर्शाती हो। इसमें पूर्ण डिस्प्ले एड्स और फर्नीचर के साथ 9 वर्ग मीटर के मानक बूथ का पूरा 3डी लुक भी दिखाना होगा। 3डी प्रेजेंटेशन में भी ग्राफिक्स आदि के बारे में विस्तार से बताया जाए।

7.3 कवर 2: वित्तीय बोली: इवेंट का नाम और "वित्तीय बोली" लिखें:
(अनुलग्नक II)

6.4.1 निम्नलिखित दस्तावेजों/विवरण को शामिल करना:
6.4.2 केवल भारतीय रुपये में प्रमुख घटकों के अलग-अलग ब्रेक-अप के साथ विधिवत दिनांकित **वित्तीय बोली**। एकमुश्त राशि पर विचार नहीं किया जाएगा। यह एक अलग लिफाफे में विधिवत मुहरबंद होगा।

अनुलग्नक II (वित्तीय बोली)

नई दिल्ली में दिनांक 3- 5 नवम्बर, 2023 तक आयोजित “वर्ल्ड फूड इंडिया 2023” में एपीडा पवेलियन के डिजाइन एवं निर्माण-कार्य हेतु वित्तीय बोलियां

क्र. सं.	कार्य का विवरण	रुपए में राशि
1.	उपरोक्त 3(I) में उल्लिखित विवरण के अनुसार सामान्य क्षेत्र का निर्माण-कार्य और साज-सज्जा।	
2.	उपरोक्त 3(II) और 3(III) में उल्लिखित विवरण के अनुसार प्रदर्शकों के स्टालों का निर्माण-कार्य और साज-सज्जा।	
3.	500 क्रेताओं और विक्रेताओं , स्टेट पोडियम ऑडियो , विजुअल स्क्रीन सिस्टम , टेबल कुर्सियाँ आदि के लिए बीएसएम को हैंडल करना और सुविधा प्रदान करना।	
4.	प्रयोज्य कर	
	कुल राशि (कर सहित)	

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
कंपनी की मुहर सहित पदनाम

दिनांक:
स्थान:

आवश्यकतानुसार वैकल्पिक वस्तुएं

क्र.सं.	**वस्तु**	**प्रति इकाई**	**रूपए में कीमत**
1.	शेल्फ		
2.	शो केस (ग्लास काउंटर)		
3.	टेबल		
4.	कुर्सी		
5.	स्पॉट लाइट		
6.	काउंटर		
7.	फ्रोज़न उत्पादों के लिए रेफ्रिजरेटर		
8.	माइक्रोवेव		
9.	हॉट केस		

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
कंपनी की मुहर सहित पदनाम

दिनांक:
स्थान:

7. चयन प्रक्रिया

7.1 एपीडा में एक समिति एजेंसियों की प्रारंभिक जांच करेगी और निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एजेंसियों को शॉर्टलिस्ट करेगी। चयन समिति के समक्ष तकनीकी प्रस्तुति देने के लिए शॉर्टलिस्ट एजेंसियों की आवश्यकता होगी।

7.2 प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित क्षेत्रों पर अपने सुझाव दे सकते हैं:

क्र.सं.	**क्षेत्र**	**स्कोर / वेटेज**
1.	समग्र अवधारणा और डिजाइन	30
2.	खाद्य उत्पादों के प्रबल स्रोत के रूप में भारत का महत्वपूर्ण चित्रण।	20
3.	एपीडा को आवंटित फ्लोर एरिया के अनुसार संरचना का उपयुक्त आयाम और स्थल का सर्वोत्तम उपयोग।	5

<table>
<tr><td>4.</td><td>पिछले तीन वित्तीय वर्ष (2020-21, 2021-22, 2022-23) के लिए कंपनी का औसत टर्नओवर: अंकों का ब्रेकअप नीचे दिया गया है:<table><tr><td>2 करोड़ रुपए तक</td><td>2 अंक</td></tr><tr><td>2 करोड़ रुपए से अधिक और 5 करोड़ तक</td><td>3 अंक</td></tr><tr><td>5 करोड़ रुपए से अधिक</td><td>5 अंक</td></tr></table></td><td>5</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में समान प्रकृति के राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुल अनुबंध मूल्य 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के पिछले कार्य । अंको का ब्रेकअप नीचे दिया गया है:<table><tr><td>1 संविदा</td><td>5 अंक</td></tr><tr><td>2 - 3 संविदा</td><td>8 अंक</td></tr><tr><td>3 संविदा से अधिक</td><td>10 अंक</td></tr></table></td><td>10</td></tr>
</table>

8. वित्तीय बोलियों का आरंभ:

8.1 अंकन सभी प्रस्तुतियों पर किया जाएगा। जो वेंडर तकनीकी प्रस्तुतियों में न्यूनतम 70% अंक (70 में से 49 अंक) सुरक्षित करते हैं, उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा और उसके बाद ही उनकी वित्तीय बोलियाँ खोली जाएंगी। वित्तीय बोली में अधिकतम 30 अंक होंगे। अंकन की गणना के लिए निम्न विधि होगी:

L1 = 30 अंक

L2 = 30XL1 (L1 द्वारा उद्धृत मूल्य) / L2 (L2 द्वारा उद्धृत लागत) और L3, L4 आदि के लिए इसी तरह से (पार्टियों की संख्या पर निर्भर करता है)।

8.2 वित्तीय अंकों को प्राप्त करने के बाद तकनीकी और वित्तीय अंक जोड़े जाएंगे और उच्चतम कुल अंकों की स्कोरिंग करने वाली एजेंसी चयनित किया जाएगा।

9. चयन समिति के पास अनुबंध / आदेश देने से पहले किसी भी समय , किसी भी कारण को बताए बिना और एपीडा पर किसी भी देयता के दायित्व के बिना घोषणा को वापस लेने , स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। एपीडा के पास कीमतों में कमी लाने या अधिक सुविधाएं जोड़ने के लिए चयनित एजेंसियों के साथ कीमतों पर बातचीत करने का अधिकार भी है।

10. अप्रत्याशित घटना:

इस अनुबंध के दौरान यदि किसी भी समय किसी भी पक्ष के द्वारा युद्ध , सार्वजनिक शत्रु की

गतिविधि, नागरिक विद्रोह, अंतर्ध्वंस, राज्य विधान या सांविधिक प्राधिकरण के दिशा-निर्देश, विस्फोट, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल और तालाबंदी (जो स्थापनाओं और कॉन्ट्रैक्टर की सुविधओं तक सीमित नहीं है), आग लगने, बाढ़ आने, प्राकृतिक आपदाओं जैसे एक्ट ऑफ गॉड (इसके बाद इवेंट के रूप में जाना जाता है) के कारण आंशिक या पूर्ण रूप से अपने दायित्व/कार्योंको रोका या लंबित किया जाता है और प्रभावित पक्ष द्वारा अन्य पक्ष को इस प्रकार की घटनाओं की सूचना 15 कैलेंडर दिनों के भीतर देने पर किसी भी प्रकार के गैर-प्रदर्शन/प्रदर्शन के निलंबन की स्थिति में न तो पार्टी इस अनुबंध को समाप्त करने की हकदार होगी, और न ही पार्टी के पास इस तरह के गैर-प्रदर्शन के बारे में या प्रदर्शन में देरी के संबंध में , दूसरे के खिलाफ नुकसान के लिए इस तरह के कोई दावे नहीं होंगे। इस तरह के कार्यक्रम (इवेंट) के समाप्त होने या अस्तित्व में आने के बाद अनुबंध को फिर से शुरू किया जा सकेगा। सेवा को शुरु करने या ना करने का अंतिम निर्णय अध्यक्ष , एपीडा का होगा। इस अनुबंध के अंतर्गत ऐसी किसी भी घटना के कारण 30 दिन की अवधि से अधिक होने पर इवेंट को रोका जा सकता है या पार्टी के अनुबंध को समाप्त किया सकता है।

11. मध्यस्थता:

इससे उत्पन्न होने वाले विवाद के सभी मामले भारतीय कानून द्वारा शासित होंगे और केवल नई दिल्ली में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे। किसी भी विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्ष सुलह के लिए सभी प्रयास करेंगे। किसी भी प्रश्न के संबंध में , विवाद या उस संबंध में समझौते के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले अंतर (मामलों के अतिरिक्त , इस समझौते के अंतर्गत विशेष रूप से प्रदान किया गया निर्णय) अनसुलझा रहता है , उसी को एकमात्र मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा जिसे अध्यक्ष , एपीडा द्वारा नियुक्त किया जाना है और उनके द्वारा दिया गया निर्णय पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान दोनों पक्षों पर लागू होंगे। एपीडा कार्यालय या अध्यक्ष , एपीडा द्वारा निर्णित कोई अन्य स्थान मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान हो सकता है। पूर्वोक्त रूप में किसी भी और प्रत्येक संदर्भ के अनुसार , कार्यवाही में लागत और आकस्मिक खर्चों का आकलन अध्यक्ष, एपीडा के विवेकाधीन होगा।

12. भुगतान की शर्तें:

सफल एजेंसी को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार भुगतान किया जाएगा:

i. किए गए खर्च के प्रमाण की प्रस्तुति पर या समान राशि की बैंक गारंटी के पर 50% तक की लागत का अग्रिम भुगतान।

ii. इवेंट के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारियों की संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु इवेंट के पूरा होने पर शेष राशि जारी की जाएगी।

iii. बोलीदाता को तैयारी और प्रस्तुति से जुड़ी सभी लागतों को वहन करना होगा।

13. बोलियों की प्रस्तुति

13.1 बोलीदाता द्वारा निम्नलिखित तरीके से मुहरबंद लिफाफे में सहायक दस्तावेजों के साथ बोलियां प्रस्तुत की जाएं:

लिफाफा I: **ई.एम.डी-** इसमें नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में 2 ,00,000/- रुपए (दो लाख रुपए मात्र) के डी.डी के रूप में बयाना राशि हो।

लिफाफा II: इसमें सहायक दस्तावेज़ों के साथ विधिवत रूप से भरा गया संलग्नक- **I** (तकनीकी बोली) हो। यह लिफाफा मोहरबंद हो और इस पर "नई दिल्ली में 3-5 नवम्बर, 2023 तक आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में एपीडा पवेलियन हेतु तकनीकी बोली" उल्लिखित हो।

लिफाफा III: इसमें संलग्नक-**II** (वित्तीय बोली) हो जिसे लेआउट योजना और निविदा दस्तावेज़ के नियम एवं शर्तों के आधार पर एपीडा की पूर्ण परियोजना हेतु सभी करों को शामिल कर भारतीय रूपयों में बोली के मूल्य के लिए विधिवत रूप से भरा गया हो। यह लिफाफा मोहरबंद हो और इस पर "नई दिल्ली में 3-5 नवम्बर, 2023 तक आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में एपीडा पवेलियन हेतु वित्तीय बोली" उल्लिखित हो।

लिफाफा IV: लिफाफा IV में लिफाफे- I, II, III रखे जाएं और लिफाफा IV को भी मुहरबंद किया जाए। लिफाफे- I, II, III और IV पर स्पष्ट रूप से बोलीदाता का नाम, पूरा पता, टेलीफोन नं., ई-मेल लिखा जाए। मास्टर लिफाफे (लिफाफा IV) पर "नई दिल्ली में 3-5 नवम्बर, 2023 तक आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में एपीडा पवेलियन हेतु तकनीकी बोली और वित्तीय बोली" उल्लिखित हो। नीचे दिए गए पते पर बोली निदेशक, एपीडा को प्रस्तुत की जाए।

- ⇒ **बोली पूर्व बैठक दिनांक 29 अगस्त 2023 को 1600 बजे एपीडा , नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी।**
- ⇒ **बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 4 सितंबर 2023 शाम 5.30 बजे तक है।**

14. प्रदर्शन आश्वासन

यदि एजेंसी का प्रदर्शन कसौटी पर खरा नहीं उतरता है या किसी प्रकार की कमी रह जाती है/ कार्य के क्षेत्र में औसत दर्जे से कम आउटपुट दिया जाता है तो अंतिम भुगतान के समय एपीडा द्वारा कुल बोली मूल्य का एक हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम होगा।

निदेशक
एपीडा
तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई बिल्डिंग, 3, सिरी सांस्थानिक क्षेत्र,
एशियार्ड गांव के सामने, अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली-110016

****